न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 03/23 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या :– 2023/54

उनवान

राजीव कुमार पुत्र रमेश जाति ब्राहम्ण निवासी बल्लभगढ तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.........................अपीलांट।

बनाम

1. चरन सिंह पुत्र घीसोली जाति जाट
2. सचिव भारतीय बाल निकेतन समिति बल्लभगढ़ जरिये श्रीमती मंजू देवी पत्नि विजय सिंह जाति जाट
3. कमला पत्नि भगवान सिंह जाति माली
4. पप्पू पुत्र सुगन जाति माली
5. भरतलाल पुत्र भगवान सिंह जाति माली
6. भूरी पुत्री भगवान सिंह जाति माली
7. भोलेराम पुत्र पांचिया जाति माली
8. मदनलाल पुत्र सुगन जाति माली
9. रूप सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति माली
10. रामकिशन पुत्र पांचिया जाति माली
11. रामधन पुत्र पांचिया जाति माली
12. लहकरन पुत्र सुगन जाति माली
13. विजय सिंह पुत्र प्रसादी जाति गूजर
14. शीला पुत्री भगवान सिंह जाति माली

(1 से 14) नि0 बल्लभगढ तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.... असल रेस्पोडेण्ट

15. संजीव कुमार पुत्र रमेश जाति ब्राहम्ण निवासी बल्लभगढ तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर।

..............................तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखंड अधिकारी भुसावर दि0 30.01.2023 प्र.सं. 83/21 उनवानी चरन सिंह बनाम कमला आदि।

उपस्थितिः–

1. श्री प्रमोद कुमार उपमन, वकील अपीलांट।
2. श्री गोविन्द सिंह डागुर, वकील रैस्पो0।

निर्णय

दिनांक–24.09.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2023 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के वादी एवं प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है एवं पक्षकारान विवादित आराजी को सम्मिलित रूप से काश्त करते हैं। अतः आये दिन पक्षकारान के मध्य फसल एवं फसल आदि में हुये खर्चे को लेकर झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से प्राथमिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में कोई तनकीयात नहीं बनायी। विवादित आराजी का पूर्व में विभाजन हो रहा है एवं खसरा नम्बर 1001 अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 संजीव के कब्जे में है। जिन्होनें आराजी की चार दिवारी कर रखी है। यह है कि वादग्रस्त आराजी का नक्शा बन्दोबस्त विभाग ने साविक नक्शा से भिन्न बना दिया है जिसकी शुद्धि की कार्यवाही विचाराधीन है और जब तक नक्शा शुद्ध नहीं हो जाता तब तक विभाजन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिल खारिजी है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। यदि अपीलाण्ट ने मनवट के आधार पर किसी भू भाग पर चार दिवारी कर रखी है तो वह विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति करने हेतु स्वतंत्र हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दोनों पक्षो की सहमति से पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण द्वारा प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने बाबत् सहमति प्रस्तुत करने पर प्राथमिक डिक्री पारित की है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट अंकित किया है कि तहसीलदार स्वयं की उपस्थिति में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विभाजन के प्रकरण बाबत् जारी परिपत्र में दिये गये निर्देशो की पूर्ण पालना करते हुये, पक्षकारो की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के प्रकरणो में अपनाये जाने वाले सभी सात बिन्दुओ की भी विस्तार से विवेचना की गयी है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

न्यायालय के अपीलाधीन् आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। यदि अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 द्वारा किसी भू भाग पर चार दीवारी निर्माण भी कर रखी है तो वह विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति करने को स्वतंत्र हैं। जहॉ तक नक्शा शुद्धि की कार्यवाही जैरकार होने का प्रश्न है, अपीलाण्ट द्वारा उक्त तथ्य बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एव ना ही हस्तगत अपील में प्रस्तुत किये हैं। अतः बिना दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक कथन सारहीन हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2023 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर

...... तरतीवी रेस्पोडेन्ट्स

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर
व इजलास श्री मुनिदेव यादव (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्याः– अपील संख्या–03/23 (223 आर.टी.एक्ट.)

अपील संख्यारू– 03/23 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या :– 2023/54

उनवान

राजीव कुमार पुत्र रमेश जाति ब्राहम्ण निवासी बल्लभगढ तहसील भुसावर जिला भरतपुर। ....अपीलांट।

बनाम

1. चरन सिंह पुत्र घीसोली जाति जाट
2. सचिव भारतीय बाल निकेतन समिति बल्लभगढ़ जरिये श्रीमती मंजू देवी पत्नि विजय सिंह जाति जाट
3. कमला पत्नि भगवान सिंह जाति माली
4. पप्पू पुत्र सुगन जाति माली
5. मस्तलाल पुत्र भगवान सिंह जाति माली
6. भूरी पुत्री भगवान सिंह जाति माली
7. भोलेराम पुत्र पांचिया जाति माली
8. मदनलाल पुत्र सुगन जाति माली
9. रूप सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति माली
10. रामकिशन पुत्र पांचिया जाति माली
11. रामधन पुत्र पांचिया जाति माली
12. लहकरन पुत्र सुगन जाति माली
13. विजय सिंह पुत्र प्रसादी जाति गूंजर
14. शीला पुत्री भगवान सिंह जाति माली

} नि० बल्लभगढ तहसील भुसावर जिला भरतपुर ।

.................असल रेस्पोडेण्ट

निवासी बल्लभगढ तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

15. संजीव कुमार पुत्र रमेश जाति ब्राहम्ण निवासी बल्लभगढ तहसील भुसावर जिला भरतपुर। ....तरतीवी रेस्पोडेण्ट
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया० उपखंड अधिकारी भुसावर दि० 30.01.2023 प्र.सं. 83/21 उंनवानी चरन सिंह बनाम कमला आदि ।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित अभिभाषक अपीलांट मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अभिभाषक गोविन्द सिंह डागुर मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2023 यथावत रखे जाते है। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख...24.....माह.....09....सन्...2024.... को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.........................
भू प्रबन्ध अधिकारी
ओहदा...... पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

(राज.)
जरिये तहसीलदार भुसावर
तरतीवी रेस्पोडेन्ट्स

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

मुहर

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी :: भरतपुर (राज.)

दस्तखत..........

औहदा.......... भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)